न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर—17/2013 (2013/00084) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—देवीसिंह आत्मज मोतीसिंह राजपुत निवासी ठीकरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—भैरूसिंह आत्मज मोतीसिंह राजपुत निवासी ठीकरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—गंगासिंह आत्मज मोतीसिंह राजपुत निवासी ठीकरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—भवरकंवर पत्नि मोतीसिंह राजपुत निवासी ठीकरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—कालुसिंह आत्मज नाहरसिंह राजपुत निवासी ठीकरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—दीपसिंह आत्मज भंवरसिंह राजपुत निवासी ठीकरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—देवीसिंह आत्मज अमरसिंह राजपुत निवासी ठीकरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन — अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 25.02.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारो एवं कब्जे काश्त की साबिक आराजी संख्या 217/2 रकबा 5 बीघा कृषि भूमि ग्राम ठिकरिया पटवार हल्का खाखरमाला में स्थित थी जो खाता संख्या 51 में प्रार्थीगण के पिता व पति के नाम दर्ज थी प्रमाण में साबिक जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। उक्त साबिक आराजी संख्या को साबिक नक्शे एवं मौके पर आयताकार रूप में विपक्षीगण की साबिक आराजी संख्या 214/5 रकबा 5 बीघा के दक्षिण एवं विपक्षी संख्या 2 की साबिक आराजी संख्या 216/2 रकबा 5 बीघा के पूर्वी दिशा में स्थित है। प्रार्थीगण वर्षो से अपनी कृषि आराजियात पर साबिक नक्शे के मुताबिक मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। ग्राम ठिकरिया का भू प्रबन्ध होने से प्रार्थीगण की साबिक आराजी संख्या 217/2 के नवीन नम्बर 29 रकबा 1.08 है0, विपक्षीगण की साबिक आराजी संख्या 214/2 के नवीन नम्बर 34 रकबा 1.08 है0, 216/2 के नवीन नम्बर 27 रकबा 0.02 है0, 28 रकबा 1.06 है0, साबिक आराजी संख्या 215 के नवीन नम्बर 26 रकबा 0.86 है0 कायम किये गये प्रमाण में वर्तमान जमाबन्दी एवं मिलान क्षैत्रफल एवं नवीन नक्शा ट्रेस की प्रतियां प्रस्तुत की है। भू प्रबन्ध विभाग के अधिकारियो एवं कर्मचारियो ने भू प्रबन्ध के दौरान साबिक आराजियात के नवीन नम्बर एवं रकबा तो कायम किया गया परन्तु नवीन नक्शे में प्रार्थीगण की नवीन आराजी संख्या 29 रकबा 1.08 को साबिक नक्शे एवं मौके के विपरीत तरमीम करते हुए प्रार्थीगण की आराजी को आयताकार के बजाय वर्गाकार के रूप में दर्ज कर दिया तथा प्रार्थीगण की आराजियात का रकबा नवीन नक्शे में कम करते हुए विपक्षी संख्या 1 की आराजी प्रार्थीगण की आराजी में बढ़ा दिया एवं विपक्षी संख्या 2 व 3 की कृषि आराजियात का रकबा प्रार्थीगण की आराजियात में बढ़ा दिया। भू प्रबन्ध विभाग का

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.03.08 16:32:57 IST
Reason: SelfAttested

उक्त कृत्य बिना किसी विधिक आदेश एवं त्रुटि पूर्ण होने से दुरस्त होने योग्य है। अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की नवीन आराजी संख्या 29 रकबा 1.08 है0 को नवीन नक्शे में साबिक नक्शे एवं मौके की स्थिति के अनुसार आयताकार रूप में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 09.10.2013 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटीस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी कमांक 1, 3 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित तथा विपक्षी संख्या 4 द्वारा जवाब पेश किया जो शमिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार रायपुर से रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम ठिकरिया के खसरा नम्बर 29 रकबा 1.08 है0 प्रार्थीगणो के नाम दर्ज रेकार्ड है तथा मौके पर पड़त पड़ा हुआ है उसके दक्षिण की तरफ जिलोला की सीमा है जिस तरफ उधर के खातेदारो द्वारा पत्थर की दिवार बना रखी है। खसरा नम्बर 29 के पश्चिम की तरफ खसरा नम्बर 28 व 27 स्थित है जिसके मौक पर खसरा नम्बर 28 व 27 के बीच एक पत्थर की कच्ची दिवार व खसरा नम्बर 28 के खातेदार के द्वारा बना रखी है जिसको खातेदार द्वारा बताया कि सेटलमेन्ट से पूर्व ही बना रखी है जिसका मौके अनुसार नपती ली गई जिसको नक्शे में लाल स्याही से प्रदर्शित की गई है। खसरा नम्बर 29 के उत्तर में खसरा नम्बर 34 व पूर्व में खसरा नम्बर 34 व पूर्व में खसरा नम्बर 30 व 33 स्थित है उपरोक्त किसी भी खातेदारो द्वारा बाड़ दिवार कुछ नही बना रखी है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न साबिक व नवीन राजस्व रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर मनन किया तो पाया कि वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम जो खसरा नम्बर अकिंत है उसका रकबा रेकार्ड के अनुरूप सही पाया गया प्रार्थीगण साबिक नक्शे में दर्ज अनुसार चाहता है किन्तु साबिक नक्शे के अनुसार तरमीम करने पर आस पास के समस्त खातेदार प्रभावित होते है तथा सभी खातेदार के मध्य विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है और मौके पर आस पास की समस्त भूमि पर किसी प्रकार की बाड़/मेड़ नही होकर पड़त के रूप में पड़ी हुई है जिससे किसी भी खातेदार को भी कोई नुकसान नही होता है। राजस्व रेकार्ड अनुसार मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा पुरा है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित नही है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 मौके एवं रेकार्ड के विपरीत होने से अस्वीकार किया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.03.08 16:32:57 IST
Reason: SelfAttested

25.02.2021
(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा